

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

(परिशिष्ट 11 में 17 बिन्दु)

- (1) संगठन कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण :-
- (2) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार :-
- (3) निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा-जोखा शामिल है :-
- (4) कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तय किए गए मापदण्ड:-
- (5) कर्मचारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मेन्चुअल तथा अभिलेख जो संधारित किए गए हैं :-
- (6) नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र :-
- (7) इसके प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के बारे में जन-साधारण से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण :-
- (8) दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और क्या ये बोर्ड कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठक जन-साधारण के लिए सुलभ है और क्या इनकी कार्यवाही टीप जनता को उपलब्ध होती है :-
- (9) इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दूरभाष सूची :-
- (10) इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में

- (1) लोक निर्माण विभाग
- |                                 |   |                   |              |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------|
| पद्ध प्रमुख अभियंता भोपाल       | - | श्री एस.के. डे    | 0755-2551485 |
| पद्ध मुख्य अभियंता जबलपुर       | - | श्री एस.एन.प्रसाद | 0761-2621541 |
| पद्ध कार्यपालन यंत्री नरसिंहपुर | - | श्री एस.सी. जैन   | 07792-230503 |
- |                    |                   |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| श्री सी.पी. मिश्रा | श्री आर.बी. तखरया | श्री एन.एस.शिवहरे | श्री आई.बी.श्रीवास्तव |
| अनु.अधि.लो.नि.वि.  | अनु.अधि.लो.नि.वि. | अनु.अधि.लो.नि.वि. | अनु.अधि.लो.नि.वि.     |
| उपसंभाग (भ/स)      | उपसंभाग (भ/स)     | उपसंभाग (भ/स)     | उपसंभाग (वि/याँ)      |
| नरसिंहपुर          | गाडरवारा          | गोटेगाँव          | नरसिंहपुर             |
| दू. 230503         | दू. 254634        | दू. 282012        | दू. 230503            |
- कार्य :- विभाग में विभिन्न स्तर पर दायित्व हैं, भवन एवं मार्ग निर्माण कार्य प्रमुख हैं तथा अधिकार संबंधी कार्यवाही म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 एवं म.प्र. वित्तीय अधिकारी पुस्तिका 1995 में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाती है ।
- (2) म.प्र. आचरण नियम 1965 के प्रावधान अनुसार ।
- (3) लोक निर्माण विभाग मेन्चुअल 1983 के प्रावधान अनुसार ।
- (4) म.प्र. आचरण नियम 1965 के प्रावधान अनुसार ।
- (5) शासनादेशों, समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश अनुरूप, लोक निर्माण विभाग मेन्चुअल 1983 के प्रावधानानुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा वर्ष 2000 (31-07-2000) को जारी निर्देशों के तहत । अभिलेख, संधारण, सेवा-पुस्तिका, भविष्य-निधि पुस्तिका ।
- (6) अनुबंध रजिस्टर, निविदा आमंत्रण, निविदा विक्रय प्रपत्र, आय-व्यय पत्रक, एब्सट्रेक्ट रजिस्टर, एफ.डी.आर. रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर, आर.आर.सी. रजिस्टर ।
- (7) सूचना के अधिकार के तहत निजी निर्देश के द्वारा एवं सिटीजन चार्टर के द्वारा की गई कार्यवाही के तहत ।
- (8) -
- (9) -

प्रावधानित मुआवजा भी शामिल है :-	(10)	—
(11) इसकी प्रत्येक एजेन्सी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है :-	(11)	—
(12) अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली, जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो :-	(12)	—
(13) रियायत, परमिट या अधिकार-पत्र जो प्रदाय किये गये हैं उनका विवरण :-	(13)	—
(14) इसके पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है :-	(14)	—
(15) जन-साधारण को जानकारियों प्राप्त करने के लिये जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उनका विवरण जिसमें लायब्रेरी, रीडिंग-रूम, के कार्य के घंटे, यदि वे कार्यरत हो तो :-	(15)	—
(16) जन-सम्पर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण :-	(16)	—
(17) अन्य जानकारियाँ जो निर्धारित की जावेंगी :-	(17)	—

कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग (भ/स)  
संभाग नरसिंहपुर